



Neutral Citation No. -2026: AHC:129540

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 18513/2026

राहुल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: योगेश मिश्रा

विपक्षी के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-1

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 354/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(4), 317(2) के अंतर्गत, थाना-गंजडुण्डवारा, जनपद-कासगंज में उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति है तथा उसे वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई विलम्ब के संबंध में कोई युक्तिसंगत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदक के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। वर्तमान अभियुक्त-आवेदक के विरुद्ध कोई विशिष्ट भूमिका आरोपित नहीं की गई है। इस वाद के अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 20.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है। इन परिस्थितियों में, यह निवेदन किया गया कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने के आवेदन का विरोध किया।
5. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दण्ड की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के दृष्टिगत तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



व्यक्त किए बिना, मेरा सुविचारित मत यह है कि आवेदक ने जमानत प्रदान किए जाने हेतु पर्याप्त आधार स्थापित किया है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त वाद अपराध में संलिप्त आवेदक- **राहुल** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो समान धनराशि के जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक उस अपराध के समान किसी अन्य अपराध का, जिसके लिए उस पर अभियोग है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है, न तो स्वयं करेगा और न ही उसमें किसी प्रकार की सहभागिता करेगा।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को इस उद्देश्य से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन नहीं देगा कि वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का प्रकटीकरण न करे, तथा न ही साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक इस आशय का एक प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य हेतु वाद नियत हो तथा साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, उस तिथि पर वह स्थगन की प्रार्थना नहीं करेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि वह अनुपस्थित रहता है, बिना किसी पर्याप्त कारण के, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए (तत्समकक्ष धारा 269, भारतीय न्याय संहिता) के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(v) यदि, विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (तत्समकक्ष धारा 84, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि उद्घोषणा में नियत तिथि पर आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए (तत्समकक्ष धारा 209, भारतीय न्याय संहिता) के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) सुनवाई शुरू होने, (2) आरोप विरचित करना और (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (तत्समकक्ष धारा 351, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अंतर्गत उसके कथन के अभिलेखन हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में उक्त अवसरों पर आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानेगा तथा विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करें।

7. उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने की दशा में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

(देवेन्द्र सिंह-I, न्यायमूर्ति)

25 जून, 2026